बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 6/4/15

संचिका सं०–17/ए –15/2014 –191(17) /स्वा०/सह प्राध्यापक (संविदा) के पद पर चयन हेतु गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित चिकित्सकों को सह प्राध्यापक के गैर संवर्गीय रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर अधिकतम तीन वर्षो तक के लिए अथवा सह प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति होने अथवा इनकी 70 वर्ष की आयु होने तक (जो भी पहले हो) के लिए नियुक्त किया जाता है तथा उनके नाम के सामने अंकित विभाग एवं चिकित्सा महाविद्यालय में संविदा के आधार पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति योगदान की तिथि से प्रभावी होगा।

क्रमांक	नाम एवं पता	विषय	पदनाम	पदस्थापित चिकित्सा महाविद्यालय का नाम
1	डा० ब्रजनंदन प्रसाद यादव, 304 सुमित्रा रेसिडेन्सी, ट्रांसपोर्ट नगर, पटना–26	शिशु	सह प्राध्यापक (संविदा)	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया।
2	डा0 अजय कुमार शैल विला अपार्टमेंट, फ्लैट नं0 ई0–1, बुद्धा कॉलोनी, पटना, पो0–जी0पी0ओ0, पटना–800001	पैथोलॉजी	सह प्राध्यापक (संविदा)	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर।
3	डा0 सुमन्त कुमार कोले हाउस नं0–21 कटहलवाड़ी, दरभंगा–846004	दंत	सह प्राध्यापक (संविदा)	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा

2. संविदा पर नव नियुक्त चिकित्सक शिक्षक को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नव पदस्थापित स्थान पर अनिवार्य रूप से तुरत कार्यभार ग्रहण कर सूचित करें।

3. विभागीय संकल्प संख्या–1267(17) दिनांक 28.11.2013 में निहित प्रावधान/अनुदेश के अनुसार संविदा आधारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा, मानदेय की निकासी एवं भुगतान संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य, विभाग से प्राप्त आवंटन के विशेष अदायगी मद से करेगें तथा इसकी सूचना निदेशानुसार विभाग को देंगे।

D/R.n.k. sinha sir/Adhisuchna

4. नियुक्ति संबंधी शर्तें :–

(क) समय–समय पर इनके कार्य एवं आचरण की समीक्षा की जायेगी, जिसे असंतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में समय से पूर्व भी कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।

(ख) प्राचार्य योगदान के समय एक सौ रूपये के नन जूडिसीयल/एडहेसिव स्टाम्प पर सम्बन्धित चिकित्सक शिक्षक से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुबंध संबंधी विहित प्रपत्र में अनुबंध हस्ताक्षरित करा लेंगे तथा योगदान के समय शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों की जाँच कर लेगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

6/4/15

(सुरेश कुमार शर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–17/ए 1–15/2014 –191(17) पटना, दिनांक– 6/4/15

प्रतिलिपि :–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त(वै० दा० नि० को०) विभाग बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं सम्बन्धित चिकित्सक शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य (श्री शर्मा)/उप निदेशक (चिकित्सा शिक्षा)/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी / विशेष कार्य पदाधिकारी, (प्रभारी प्रशाखा–17) स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्रशाखा पदाधिकारी, 1 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

6/4/15

सरकार के संयुक्त सचिव।